उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–7
संख्याः९९६/XX–7/2019–01(66)2016
देहरादून दिनांक २९ अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2008) की धारा 87 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड पुलिस आरमोरर शाखा सेवा नियमावली, 2019 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

उत्तराखण्ड पुलिस आरमोरर शाखा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड पुलिस आरमोरर शाखा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2020" है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 10 क का अतंःस्थापन

2. उत्तराखण्ड पुलिस आरमोरर शाखा सेवा नियमावली, 2019 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नियम 10 के पश्चात् नया नियम 10 क को निम्नलिखित रूप से अन्तःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्

"**10क चयन समितिः**– मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद पर चयन हेतु चयन समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी होगें, अर्थातः–

1– पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी –अध्यक्ष

2– अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक स्तर के 02 अधिकारी –सदस्य

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के एक अधिकारी को चयन समिति में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।"

नियम 11 क का अतंःस्थापन

3. मूल नियमावली में नियम 11 के पश्चात् नया नियम 11क को निम्नलिखित रूप से अन्तःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:–

"**11क चयन समितिः**– उप निरीक्षक आरमोरर के पद पर चयन हेतु चयन समिति के निम्नलिखित पदाधिकारी होगें, अर्थात्:–

1– पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी –अध्यक्ष

2– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी –सदस्य

3– सहायक पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी –सदस्य

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के एक अधिकारी को चयन समिति में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।"

नियम 12क का अंतःस्थापन

4. मूल नियमावली में नियम 12 के पश्चात् नया नियम 12क को निम्नलिखित रूप से अन्तःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:–

"**12क चयन समितिः**– निरीक्षक आरमोरर के पद पर चयन हेतु चयन समिति के निम्नलिखित पदाधिकारी होगें:–

1– पुलिस महानिदेशक –अध्यक्ष

2– अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी –सदस्य

3– पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक स्तर के अधिकारी –सदस्य

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के एक अधिकारी को चयन समिति में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।"

नियम 14 का संशोधन

5. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 14 स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ–2** **विद्यमान प्रतिस्थापित नियम**
14 यदि कोई कर्मचारी दी गई पदोन्नति को लेने से इंकार कर देता है तो उसके कनिष्ठ को चयन समिति पदोन्नति दे सकेगी और इस परिस्थिति में ज्येष्ठ कर्मचारी अपने प्रोन्नति में उस दिन से ज्येष्ठता नहीं मांग सकेगा, जिस दिन उसके सापेक्ष रिक्त पद पद पदोन्नति दी गयी थी।	पदोन्नति से इंकार करने वाले कार्मिकों के संबंध में उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 के प्राविधान तथा समय–समय पर तत्सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के प्राविधान लागू किए जायेगें।

नियम 14 क का अंतःस्थापन

6. मूल नियमावली में नियम 14 के पश्चात् नया नियम 14क को निम्नलिखित रूप से अन्तःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:–

"बन्द लिफाफे की कार्यवाही

14क. ऐसे कार्मिक जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही/जॉच लम्बित हो अथवा अभियोग पंजीकृत हो अथवा किसी प्रकार की अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो, को भी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति/रैंकर परीक्षा में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, यदि परीक्षा प्रक्रिया के मध्य ऐसे कार्मिक की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है, तो उसे उसी स्तर पर चयन प्रकिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/रिट याचिका परीक्षा पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही के निर्णय की प्रत्याशा में उनका पदोन्नति परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया जायेगा। अपील/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अंतिम निर्णय होने के पश्चात् ही निर्णय के सादृश्य संबंधित कार्मिक का सीलबन्द लिफाफा खोला जायेगा। निलम्बित कर्मियों को भी निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नति प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।"

नियम 16 का विलोपन

7. मूल नियमावली में नियम 16 विलोपित कर दिया जायेगा।

नियम 22 का विलोपन

8. मूल नियमावली के नियम 22 विलोपित कर दिया जायेगा।

आज्ञा से,

(नितेश कुमार झा)
सचिव।

संख्याः ९९८ (1)/XX—7—2019—01(66)2016, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपर्युक्त अधिसूचना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. कार्यालय महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, मुद्रण लेखन सामग्री, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना की 250 प्रतियां प्रकाशित कराते हुए शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार की विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय कुमार)
उप सचिव